

राजस्थान-सरकार
राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक 1 JUL 2011

क्रमांक: प.9(9)राज. / ग्रुप-1 / 2011

- अधिरूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, 15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला टॉक की तहसील उनियारा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित भूजमी/दागियों को एतदपश्चात् राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावे एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गाँव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र.सं.	जिला/तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हेक्टर में)	दूरी किमी में	मूल राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टॉक/उनियारा	विलासपुर	868	783.72	श्रीनगर	220	237.05
						2	546.67

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, टॉक को अधिकृत किया जाकर जिला कलेक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

Statist

21/7/11

डेटा बेस
की अंतर्गत

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव